राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	745/2025 गुलाब देवी बनाम भंवर उर्फ़ मोठू हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24/02/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 1 लगा. 3 ने लिखित बहस पेश की एवं अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी लिखित बहस पेश की। अधिवक्ता उभयपक्ष ने अपनी-अपनी लिखित बहस को ही उनकी बहस माना जाकर अपील का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 04/03/2026 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
04/03/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 लगा. 3 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरुस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि ग्राम बैनाड मय दौलतपुरा, पटवार हल्का नांगल सिरस, भू-अभिलेख निरीक्षक खोराबीसल तहसील रामपुरा डाबडी,जिला जयपुर में स्थित आराजी खसरा नंबर 546/819 रकबा 0.7400 हैक्टेयर, खसरा नंबर 546/820 रकबा 1.2500 हैक्टेयर स्थित है जो वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज व अंकित है। वाद पत्र में वर्णित आराजी के साबिक खसरा नंबर 173 रकबा 142 बीघा 18 बिस्वा है। जिसके वर्तमान खसरा नंबर 494/883, 535, 536/884, 537/885, 538, 538/798, 538/799, 538/800, 538/808, 538/809, 538/812, 538/813, 540, 540/807, 540/810, 540/811, 540/840, 541, 542, 543/815, 544, 544/801, 545, 545/802, 545/803, 545/816, 546, 546/804, 546/805, 546/817, 546/818, 546/819, 546/820, 547, 547/806 कुल किता 6 कुल रकबा 36.0200 हैक्टेयर है। उक्त साबिक खसरा नंबर 173 में से 5 बीघा जरिये विक्रय पत्र खातेदार नारायण पुत्र बालू से वर्ष 1962 को वादीगण के पिता कल्याण पुत्र गोपी ने क्रय की है तथा वर्ष 1962 को वादीगण के पूर्वज लादू पुत्र गोपी ने 2 बीघा 18 बिस्वा क्रय की थी। प्रतिवादी संख्या 1 संयुक्त सहकारी समिति लि. खोराबीसल राजस्थान सहकारी समितियां अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत कृषि कार्य हेतु पंजीकृत कृषि सहकारी समिति है जो छोटे-छोटे किसानों की जमीनों को एकत्रित करके संगठित रूप से कृषि कार्य करने के उद्देश्य से बनाई गई थी। ताकि छोटे किसानो को कृषि कार्य से फायदा प्राप्त हो सके। उक्त समिति के नाम नामान्तकरण दिनांक 02.9.1963 को खोला गया तथा उक्त समिति में ही वादीगण के पूर्वजों की 7 बीघा 12 बिस्वा भूमि सम्मलित की गई है जिसके वर्तमान खसरा नंबर 546/819 रकबा 0.7400 हैक्टेयर, खसरा नंबर 546/820 रकबा 1.2500 हैक्टेयर है। उक्त कृषि भूमि को साबिक खसरा नंबर 173 से राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	गुलाब देवी बनाम भंवर उर्फ़ मोठू हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

745/2025

जरिये विक्रय पत्र वादीगण के पूर्वज द्वारा क्रय कर अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं। प्रतिवादी संख्या 1 की उक्त समिति अपने वैधानिक उद्देश्यों में सफल नहीं हो सकी। इससे उक्त समिति का विघटन हो गया। तत्पश्चात् उक्त आराज वादीगण के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में संवत् 2054-2055 के नाम दर्ज अंकित हुआ। पदाधिकारी संख्या 1 समिति के विघटन के पश्चात् सोसायटी के पदाधिकारियों द्वारा मिलीभगत कर वादीगण की खाते की भूमि खसरा नंबर 546/819 रकबा 0.7400 हैक्टेयर, खसरा नंबर 546/820 रकबा 1.2500 हैक्टेयर को पुनः समिति के नाम पश्चात उक्त आराजी समिति द्वारा पुनः भूमिधारियों को प्रदत्त कर दी जिसके उपरांत वादीगण के नाम से राजस्व रिकॉर्ड मे संवत 2054-2055 के नाम दर्ज अंकित हुआ। तथा समिति के समाप्त होने के बाद भी समिति के फर्जी सदस्य बनकर खातेदारों / हिस्सेधारों का हिस्सा समाप्त करने के लिए फर्जी तरीके से कार्यवाही करने पर आमादा है। तथा भूमि का बेचान करने पर आमादा है जिस कारण वादीगण को यह वाद पत्र पेश कर प्रतिवादी को पाबंद करने का अधिकारी है। वादीगण अपने पूर्वजों की क्रयशुदा भूमि खसरा नंबर 546/819 रकबा 0.7400 हैक्टेयर, खसरा नंबर 546/820 रकबा 1.2500 हैक्टेयर पर बहिस्सा बराबर-बराबर काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं तथा वर्तमान में उक्त आराजी पर किसी प्रकार का कोई कब्जा काश्त नहीं है। वादीगण इस आशय की घोषणा करवाने के अधिकारी है कि वर्णित आराजी का राजस्व रिकॉर्ड से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम दुरूस्त करवाकर वादीगण उक्त आराजी में अपना नाम बहिस्सा बराबर-बराबर अर्थात 1/3-1/3 की घोषणा करवाने के अधिकारी है। दिनांक 28.12.2024 को वादग्रस्त भूमि पर जुमन खॉ जो अपने आप को समिति का प्राधिकृत सदस्य बताता है व उसके साथ कुछ अजनबी लोग आये और भूमि की नाप जोख करने लगे जिस पर वादीगण ने उक्त लोगों से कारण पूछा तो उनके द्वारा बताया गया कि में समिति का प्राधिकृत अधिकारी व मेरे पिता जी समिति के अध्यक्ष थे तथा भूमि को विक्रय हस्तान्तरण करने और कहा कि वादीगण मौके से अपना कब्जा काश्त हटा ले। जिस पर वादीगण द्वारा उक्त आराजी उनके कब्जे काश्त की व पैतृक आराजी होने के तथ्य में कहा गया तथा उक्त लोगों का विरोध किया मौके पर हल्ला व शोर शराबा सुनकर वे लोग मौके से चले गये तथा ऐलानियां धमकी देकर गये कि वे भूमि का बेचान कर देंगे तो वादीगण को अपूरणीय क्षति होगी इस कारण वादीगण का वाद कारण उत्पन्न हुआ। और यह वाद माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करना लाजमी हुआ।

राजस्व अपील अधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

145/2025 **गुलाब देवी** **बनाम** **भंवर उर्फ़ मोठू**

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 की और से जवाब दावा प्रस्तुत किया गया एवं प्रतिवादी संख्या 2, 3 व 4 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। जिसके पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 19/03/2025 पारित करते हुये वाद डिक्री कर दिया गया एवं उसके पश्चात संशोधित निर्णय व डिक्री दिनांक 26/03/2025 पारित की गयी। जिसके विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रार्थना पत्र धारा-96 जाप्ता दीवानी एवं प्रार्थना पत्र धारा-5 कानून मियाद के साथ प्रस्तुत की गयी, जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष ने अपनी-अपनी लिखित बहस पेश कर लिखित बहस के आधार पर अपील का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि वादी/रेस्पो. द्वारा वाद पत्र में सयुक्त कृषि सहकारी समिति लि. खोराबीसल का विघटन हो जाना अंकित किया गया है, जबकी उक्त सहकारी समिति के निरस्तीकरण आदेश दिनांक 30/03/1996 को अतिरिक्त रजिस्ट्रार प्रथम सहकारी समितियां राजस्थान जयपुर द्वारा निगरानी संख्या 23/1996 में पारित निर्णय दिनांक 07/08/1998 के द्वारा निरस्त कर दिया गया है एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से यह कही जाहिर नही होता है कि उक्त निर्णय दिनांक 07/08/1998 को किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया हो। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात की प्रति के अवलोकन से अपीलार्थीयां का सयुक्त कृषि सहकारी समिति का सदस्य होना तथा प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में विभिन्न मुकदमो में पक्षकार होना जाहिर होता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में अपीलार्थीयां का प्रभावित पक्षकार होना एवं उससे व्यथित पक्षकार होना प्रकट होता है, ऐसेमें अपीलार्थीयां द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा-96 जाप्ता दीवानी स्वीकार किया जाकर ईजाजत अपील प्रदान किया जाना न्यायोचित्त एवं उचित समझा जाता है एवं चूँकि अपीलार्थीयां अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार नही रही है, ऐसेमें अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी के सन्दर्भ में जो प्रार्थना पत्र धारा-5 मियाद अधिनियम में तथ्य अंकित किये गये है, वह स्वीकार योग्य जाहिर होते है। इसके अतिरिक्त चूँकि अपीलार्थीयां का प्रकरण में उसमे पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री से प्रभावित एवं व्यथित पक्षकार होना जाहिर है, ऐसेमें अपीलार्थीयां को

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

गुलाब देवी बनाम भंवर उर्फ़ मोठू

तारीख हुक्म	745/2025 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

पक्षकार प्रकरण बनाते हुये साक्ष्य-सबूत प्रस्तुत करने व सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये पुन: विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझा जाता है|

अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थीयां मय प्रार्थना पत्र धारा-96 जाप्ता दीवानी एवं प्रार्थना पत्र धारा-5 मियाद अधिनियम स्वीकार किये जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 19/03/2025 एवं संशोधित आदेश दिनांक 26/03/2025 निरस्त किये जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलार्थीयां को पक्षकार प्रकरण समायोजित कर साक्ष्य-सबूत प्रस्तुत करने तथा सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये विधिसम्मत निर्णय व डिक्री पुन: पारित के|

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो|

निर्णय आज दिनांक 04/03/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया|

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर